<u>दिनांक 02.12.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 143वीं बैठक के कार्यवृत्त</u>

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 143वीं बैठक श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं श्री सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं एमएसएमई, राजस्थान सरकार की सह-अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में, **श्री अभय कुमार,** प्रमुख शासन सचिव, आयोजना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग (Do&IT), राजस्थान सरकार, **श्री नरेश पाल गंगवार**, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राजस्थान सरकार, **डॉ. के. के. पाठक,** शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, **श्री हेमंत गेरा**, वित्त सचिव (बजट), राजस्थान सरकार, **डॉ. ओम प्रकाश**, आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार, **श्री अरुण कुमार सिंह,** क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, **श्री सुरेश चंद,** मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, **श्री महेंद्र एस. महनोत**, महाप्रबंधक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सिडबी, विभिन्न बैंकों, बीमा कम्पनियों व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों/ अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी. **(संलग्न सूची के अनुसार)**

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया. उन्होने एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की. उन्होने बताया कि राज्य के अच्छे विकास के लिए एसएलबीसी, बैंकों एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा आज राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 143वीं बैठक में की जाएगी. साथ ही सभी बैंकों से वर्तमान वित्तीय वर्ष में नयी ऊर्जा, प्रतिबद्धता एवं राज्य व केंद्र सरकार के समन्वय के साथ समस्त पैरामीटर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का अनुरोध किया. तत्पश्चात उन्होने समिति के अध्यक्ष महोदय को उद्बोधन हेतु अनुरोध किया.

श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं सदस्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों के अधिकारियों, राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया तथा अपने उद्बोधन में एस.एल.बी.सी. एवं सभी हितग्राहियों के द्वारा राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की. उन्होने बताया कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के सम्माननीय मंच पर राज्य सरकार और वरिष्ठ बैंकर्स के साथ उपस्थित होकर विचार साझा करने में अत्यंत खुशी का अनुभव हो रहा है.

उन्होने दिनांक 26.08.2019 को आयोजित 142वीं एसएलबीसी राजस्थान की बैठक के बाद हुई विभिन्न योजनाओं की अद्यतन सूचना से सदन को अवगत करवाया जिनमें से प्रमुख निम्नानुसार है:

- वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्राहक संपर्क पहल अभियान दो चरणों में दिनांक 03.10.2019 से 07.10.2019 तक एवं दिनांक 21.10.2019 से 24.10.2019 तक चलाया गया। उक्त अभियान का उद्देश्य उत्पाद, पुनर्गठन योजनाओं एवं छोटे उधारकर्ताओं के लिए एकमुश्त निपटान योजना के बारे में जागरूकता फैलाना था। उक्त अभियान में बैंकों के साथ

NBFCs, HFCs, MFIs, सिडबी एवं नाबार्ड के द्वारा भागीदारी की गयी। उन्होने समस्त हितधारकों को उक्त अभियान के सफलतापूर्वक आयोजन पर बधाई दी।

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार एसएलबीसी, राजस्थान ने करौली जिले को एक वर्ष के अंतर्गत 100% डिजिटलीकरण बनाने के उद्देश्य से चयनित किया गया। इस डिजिटलीकरण की प्रक्रिया की निगरानी एवं प्रगति हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के तहत एक उप समिति बनाई गई एवं इसकी पहली बैठक दिनांक 18.10.2019 को आयोजित की गई। इसका उद्देश्य यह है कि इस जिले में प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित वातावरण में आसान एवं त्वरित डिजिटल भुगतान करने/ प्राप्त करने में समर्थ हो। एसएलबीसी द्वारा करौली जिले में मौजूद सभी बैंकों को पीओएस मशीन, वित्तीय साक्षरता शिविर इत्यादि के लक्ष्य आवंटित कर दिये गए हैं। उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि जिले के 100% डिजिटलीकरण हेतु रोडमैप तैयार करें।
- वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार ने राजस्थान राज्य के 5 कि.मी की परिधि में स्थिति कुल 1136 गांवों की सूची प्रस्तुत की है, जिनकी सूचना अभी तक जन धन दर्शक एप्लीकेशन / एप में अद्यतित नहीं है । राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा इनमें से कुल 994 गांवों की सूचना पीएमजेडीवाई - एफ आई पोर्टल में दर्ज की गई है एवं शेष रहे 142 गांवों (uncovered) को अन्य बैंकों को सौंपा गया है।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसान संतृप्ति अभियान के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने हेतु अभियान चलाया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर वर्तमान में राज्य में कुल 87.11 लाख किसान है एवं जिनमें से 73.26 लाख किसानों को केसीसी तहत ऋण सुविधा प्रदान की गई है। उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि राज्य में 100% केसीसी संतृप्ति स्तर प्राप्त करने हेतु प्रयासों में तेजी लावें।
- भारतीय बैंक संघ ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ग्राहक की स्थानीय सुविधा के लिए एकरूप बैंकिंग समय लागू करने के निर्देश प्रदान किए हैं. इस संबंध में एसएलबीसी ने राज्य के समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के लिए दिनांक 01.11.2019 से 10:00 AM to 04:00 PM एवं अन्य कार्यालयों (प्रशासनिक कार्यालय सहित) में 10:00 AM to 05:00 PM एकरूप बैंकिंग समय लागू कर दिया है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र मंत्रालय के अनुसार निर्यात में एमएसएमई का मौजूदा हिस्सा 49% से बढ़ाकर 60% किया जाना चाहिए। एमएसएमई क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर बैंकों द्वारा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में वांछित वस्तुओं का उत्पादन बढ़ सके एवं सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो सके।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राज्य के सितंबर 2019 तिमाही के विभिन्न पैरामीटर्स यथा कुल जमाओं, कुल अग्रिमों, कृषि अग्रिमों, सीमांत एवं लघु कृषकों को ऋण, वार्षिक साख योजना के अंतर्गत उपलब्धि, साख जमा अनुपात इत्यादि के बारे में बताया एवं उक्त सभी पैरामीटर्स पर एजेंडा के कार्यबिन्दु के साथ चर्चा करने की सलाह दी. उन्होने भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना व स्टैंड अप इंडिया योजना में बैंकों को आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व अटल पेंशन

योजना में अधिक से अधिक नामांकन करवाने हेतु बैंक नियंत्रकों से अनुरोध किया. साथ ही उन्होने प्रधानमंत्री जन धन योजना के खातों में आधार सीडिंग, आधार प्रमाणीकरण, मोबाइल नंबर व रूपे कार्ड एक्टिवेशन पर भी प्रकाश डाला।

उन्होने निम्न मुद्दों पर राज्य सरकार से सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया:-

- राज्य सरकार द्वारा भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन किए जाने के चलते कई जिलों में भूमि का रहन दर्ज करवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
- राको (रोड़ा) एक्ट एवं SARFAESI एक्ट के अंतर्गत जिला/ ब्लॉक स्तर पर बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित है. यहाँ तक कि कुछ मामले तो एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं. बैंकों के बढ़ते हुए एनपीए को देखते हुए वसूली हेतु बैंकों के पक्ष में वसूली का वातावरण बनाने की आवश्यकता है.

अंत में राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों के आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद किया.

संयोजक, एस.एल.बी.सी. राजस्थान ने **श्री सुबोध अग्रवाल**, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं एमएसएमई, राजस्थान सरकार को सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

श्री सुबोध अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं एमएसएमई, राजस्थान सरकार ने बताया कि राजस्थान में बड़े उद्योग काफी कम हैं एवं अधिकतर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर ही राज्य की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। अतः राज्य में एमएसएमई व निर्यात क्षेत्र की अत्यधिक महत्ता है। उक्त को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार द्वारा नए उद्योगपतियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने में सहूलियत प्रदान करने के उद्देश्य से औद्योगिक नीतियों में बदलाव किया गया है जिसमें से प्रमुख है- नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 3 वर्ष तक राज्य सरकार के किसी भी विभाग से किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है एवं राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा 3 वर्ष तक किसी भी प्रकार का निरीक्षण नहीं किया जाएगा। सरकार का यह कदम उद्योगपतियों एवं सरकार के बीच विश्वास स्थापित करने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। साथ ही उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि नए उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने में बैंकों द्वारा अधिक से अधिक भरोसा रख आर्थिक संबल प्रदान किया जावे।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. राजस्थान ने **श्री सुरेश चंद,** मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड को सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

श्री सुरेश चंद, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा एमएसएमई एवं एफ़पीओ के क्षेत्र में नीतियों में किए गए बदलाव उक्त क्षेत्रों के तीव्र विकास में मील का पत्थर साबित होंगें। साथ ही बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनकी गैर कृषि क्षेत्र से होने वाली आय को बढ़ाना होगा। उन्होने राज्य सरकार एवं बैंकों से अनुरोध किया कि एफ़पीओ के लिए पॉलिसी बनाई जाये। कुछ जिलों में

साख जमा अनुपात कम रहने से सूचित किया एवं वार्षिक योजना में अच्छी प्रगति हेतु बैंकों से अनुरोध किया। उन्होने बताया कि नाबार्ड एवं एसएचजी द्वारा मिलकर लगभग 27,000 एसएचजी को ऑनलाइन किया जा चुका है। उक्त पोर्टल पर बैंक शाखा द्वारा लॉगिन कर एसएचजी का सम्पूर्ण ब्योरा देखा जा सकता है। उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त पोर्टल का लाभ लेकर एसएचजी को अधिक से अधिक वित्तपोषित किया जावे।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. राजस्थान ने मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा बताए गए सुझावों पर बैंकों की ओर से अमल किए जाने का आश्वासन दिया एवं **श्री अरुण कुमार सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक** को सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

श्री अरुण कुमार सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य में साख जमा अनुपात, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋणों में हुई अच्छी प्रगति के लिए समस्त बैंकों एवं एसएलबीसी की सराहना की। एमएसएमई क्षेत्र एवं गैर कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने की अपार संभावनाओं को देखते हुए उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त क्षेत्रों को अधिकाधिक ऋण प्रदान किया जाये।

उन्होने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चयनित एसएलबीसी संयोजक बैंकों एवं नाबार्ड के कार्य समूह द्वारा मौजूदा डेटा के प्रकार एवं विभिन्न योजनाओं की समीक्षा हेतु उपयोग में लाये जा रहे प्रारूपों का अध्ययन कर डेटामॉडल को एकरूप करने के लिए पूरे भारत वर्ष में डेटा प्रवाह की एक ही मानकीकृत प्रणाली अपनाने के लिए विस्तृत चर्चा कर डेटामॉडल सुझाया है जिसे एसएलबीसी द्वारा डेटा संग्रहण एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति की निगरानी हेतु adopt किया गया है। समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि निर्धारित प्रारूपों में शीघ्र ही डेटा एसएलबीसी को प्रेषित करें जिससे विभिन्न योजनाओं की प्रगति की सटीक जानकारी के अनुसार आगामी योजनाएँ एवं नीतियाँ बनाई जा सकें।

उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि करौली जिले के 100% डिजिटलीकरण हेतु रोडमैप तैयार कर शीघ्र कार्यान्वित करें। उन्होने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन किए जाने के चलते कई जिलों में भूमि का रहन दर्ज करवाने में आ रही परेशानी को जल्द से जल्द दूर किया जाये जिससे केसीसी संतृप्ति अभियान के तहत उपलब्धि को बढ़ाया जा सके। साथ ही पशुपालन एवं मछली पालन हेतु भी ऋण प्रदान किए जाने पर ज़ोर दिया। उन्होने बताया कि राज्य में 12,943 गांवों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया है जिसके संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि सभी किसानों को उक्त योजना के तहत लाभान्वित करें। बैंकिंग सुविधाओं को डिजिटलीकृत करने के साथ साथ साइबर सुरक्षा भी बढ़ाने पर ज़ोर दिया। उन्होने राको रोड़ा एक्ट के तहत लंबित मामलों में राज्य सरकार से सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा रखते हुए कहा कि राजस्व अधिकारियों को तिमाही आधार पर मामलों का निस्तारण करने के लक्ष्य प्रदान किए जावें जिससे बैंकों को रुका हुआ पैसा वापस मिल सके। उन्होने सदन को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के डेप्युटी गवर्नर की अध्यक्षता में स्थापित आंतरिक वर्किंग समिति (Internal Working Group) द्वारा राज्य सरकार को कृषि क्षेत्र में ऋण को बढ़ावा देने हेतु कई सुझाव दिये है जिसमें से मुख्य है बैंको को भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की प्रक्रिया में शामिल करना, कृषि क्षेत्र हेतु दीर्घावधि ऋण की व्यवस्था करना, कृषि क्षेत्र के सुनियोजित

विकास हेतु डाटा बेस तैयार करना, केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा ऋण माफी की घोषणाओं के स्थान पर किसानों के लिए बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाना तथा कृषि क्षेत्र के विकास हेतु साख गारंटी फ़ंड (Credit Guarantee Fund) की स्थापना करना शामिल है ।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान से बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ करने के निर्देश प्रदान किए.

वरिष्ठ प्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुए बैठक के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उन्होने बैठक के विभिन्न कार्यवाही बिन्दुओं पर प्रस्तुतीकरण आरंभ किया:

एजेण्डा क्रमांक -1 (1.1) विगत **142**वीं बैठक के कार्यवृत्त की सदन द्वारा पुष्टि की गयी.

एजेण्डा क्रमांक - 2

Revamp of Lead Bank Scheme

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अग्रणी बैंक योजनाओं के सुधार (Revamp) हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक स्कीम में सुधारों के लिए दिए गए सुझावों की अनुपालना हेतु समस्त नियंत्रक सदस्यों से अनुरोध किया जिसमें से मुख्य कार्यवाही बिन्दु निम्नानुसार हैं:

- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक बैठक नीतिगत मुद्दों पर ही चर्चा करने के लिए केन्द्रित होगी एवं उक्त बैठक में बैंकों/ विभिन्न सरकारी विभागों के केवल राज्य प्रमुख/ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही सहभागिता की जावेगी.
- नियमित मुद्दों पर चर्चा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की विभिन्न उप समितियों की बैठक में की जाएगी.
- राज्य की समस्त बैंक शाखाओं/क्षेत्रीय/प्रशासनिक कार्यालय के व्यावसायिक लक्ष्य वार्षिक साख योजना के साथ संरेखित (align) कर निर्धारित किए जाने चाहिए.
- अग्रणी जिला प्रबन्धक की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए अपेक्षित कौशलयुक्त अधिकारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए.
- अग्रणी जिला कार्यालय हेतु अलग कार्यालय स्थान एवं एलडीएम द्वारा अपनी मुख्य जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु बुनियादी आवश्यकताएँ जैसे कंप्यूटर, प्रिन्टर एवं डेटा कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए.
- साथ ही एलडीएम को अलग से एक वाहन भी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए.

- एलडीएम कार्यालय में डेटा प्रविष्टि/ विश्लेषण हेतु कर्मचारी की कमी के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है. अतः एलडीएम को कुशल कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए बैंकों के प्रशासनिक कार्यालय को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।

उन्होने विभिन्न उपसमितियों के आयोजन का विवरण प्रस्तुत किया जो कि निम्नानुसार है:-

उपसमिति	**बैठक की दिनांक**
1. वित्तीय समावेशन	18.10.2019
2. डिजिटल भुगतान	18.10.2019
3. एसएलबीसी वेबसाइट पर डेटा प्रवाह के लिए मानकीकृत प्रणाली का विकास	18.10.2019
4. एसएचजी/जेएलजी/ एफ़पीओ	23.10.2019
5. केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना	23.10.2019
6. कृषि योजनाओं से संबन्धित	31.10.2019
7. एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन	06.11.2019
8. बकाया ऋण वसूली	2nd week of December, 2019

उन्होने बताया कि आज आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 143वीं बैठक के कार्यबिन्दु तैयार करने हेतु स्टियरिंग समिति की 7वीं बैठक दिनांक 14.11.2019 को आयोजित की गयी.

एजेण्डा क्रमांक - 3

Key Business Parameters

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि 30 सितंबर, 2019 तक राज्य में कुल 8015 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं. वित्तीय वर्ष 2019-20 में सितंबर तिमाही तक बैंकों द्वारा कुल 105 शाखाएं खोली गयी हैं.

जमाएँ व अग्रिम: 30 सितंबर, 2019 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 11.31% के साथ कुल जमाएँ राशि रू 4,17,917 करोड़ तथा कुल अग्रिम वर्ष दर वर्ष वृद्धि 15.08% के साथ कुल ऋण राशि रूपये 3,38,224 करोड़ रहे हैं. जमाओं में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों एवं स्माल फाइनेंस बैंक की वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 10.79%, 15.89%, 2.04% एवं 78.85% रही है तथा अग्रिमों में वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं स्माल फाइनेंस बैंक वर्ष दर वर्ष वृद्धि क्रमशः 16.75%, 12.84% एवं 38.05% रही है तथा सहकारी बैंकों में नकारात्मक वृद्धि 32.58% रही. राज्य का साख जमा अनुपात 83.37% रहा है जो भारतीय रिजर्व बैंक के बेंचमार्क से काफी उपर है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 30 सितंबर, 2019 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 12.02% के साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त ऋण राशि रू 2,19,735 करोड़ रहा है.

कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण: 30 सितंबर, 2019 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 3.64% के साथ कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण रूपये 1,03,059 करोड़ रहा है.

सूक्ष्म व लघु उद्यम एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण: 30 सितंबर, 2019 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 14.01% के साथ सूक्ष्म व लघु उपक्रम एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदत्त ऋण राशि रूपये 79,263 करोड़ रहा है.

कमजोर वर्ग को ऋण: 30 सितंबर, 2019 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 16.61% के साथ कमजोर वर्ग को प्रदत्त ऋण राशि रूपये 73,669 करोड़ रहा है.

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण: 30 सितंबर, 2019 को राज्य में वर्ष दर वर्ष वृद्धि 14.93% के साथ अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण रूपये 15,846 करोड़ रहा है.

राज्य में **कुल अग्रिमों का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** के अग्रिम 64.97%, कृषि क्षेत्र को 30.47%, कमजोर वर्ग को 21.78%, लघु एवं सूक्ष्म कृषकों को 14.59% तथा सूक्ष्म उपक्रमों को 11.69% रहा है.

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन में राजस्थान के नजदीकी राज्य उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के 30 सितंबर, 2019 के साख जमा अनुपात (CD Ratio) के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये. तुलनात्मक आंकड़ों में राजस्थान राज्य की प्रगति संतोषप्रद पायी गयी. राज्य के सभी बैंकर्स एवं अन्य सभी हितग्राहियों को इसके लिए बधाई दी.

<u>एजेण्डा क्रमांक - 4</u>

<u>Unbanked Rural Centres (URC)</u>

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में चिन्हित दिनांक 31.05.2018 तक राज्य के 895 बैंकरहित गांवों (5 किमी की परिधि में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के रोड्मेप) को विभिन्न बैंकों को आवंटित कर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया है. इस संबंध में उन्होने बताया कि समस्त गाँवों में बैंकों द्वारा बीसी नियुक्त कर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं। अतः उक्त एजेंडा बिन्दु को आगामी बैठक के एजेंडा से हटाये जाने का अनुरोध किया जिस पर सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने सहमति प्रदान की.

उन्होने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 18.10.2019 से से अवगत करवाया गया है कि 1136 गाँव के 5 कि.मी. परिधि में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है उन गांवों की सूची एसएलबीसी को प्रेषित की गयी। उक्त 1136 गांवों में से 943 गाँव बैंकिंग सुविधाओं से कवर पाये

गए एवं शेष रहे 193 गाँव विभिन्न बैंकों को आवंटित किए गए जिसमें से दिनांक 30.11.2019 तक 142 गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना शेष है।

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि उनके बैंक को आवंटित गांवों में से 81 गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना शेष है। उन्होने दिसंबर माह अंत तक शेष रहे गांवो में बीसी के माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने का आश्वासन प्रदान किया.

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक)

उप महाप्रबंधक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने बताया कि उनके बैंक को आवंटित गांवों में से 35 गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना शेष है। उन्होने दिसंबर माह अंत तक शेष रहे गांवो में बीसी के माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने का आश्वासन प्रदान किया.

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक)

प्रतिनिधि, पंजाब नेशनल बैंक ने दिसंबर माह के अंत तक शेष रहे गांवो में बीसी के माध्यम से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने का आश्वासन प्रदान किया.

(कार्यवाही : पंजाब नेशनल बैंक)

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा को आवंटित गांवों में से शेष रहे 4 गांवों में बीसी चयनित कर लिए गए हैं। पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होते ही बीसी द्वारा कार्य आरंभ कर दिया जावेगा।

(कार्यवाही : बैंक ऑफ बड़ौदा)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि 142 गाँव के 5 कि.मी. परिधि में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है उन गांवों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने के समस्त बैंकों से अनुरोध किया ।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMSBY, PMJJBY एवं APY के तहत दिनांक 31.10.2019 तक कुल नामांकन 98.31 लाख किए जाने से सूचित किया जो कि 31.03.2019 में 80.65 लाख था।

<u>अटल पेंशन योजना</u>

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि अटल पेंशन के अंतर्गत शाखाओं की संख्या के आधार पर बैंकों को वर्गवार लक्ष्य आवंटित किए गए हैं. राज्य में कुल 4,19,180 नामांकन के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 09.11.2019 तक 1,49,180 नामांकन की उपलब्धि है जो कि 35.69% रही है. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं स्माल फाइनेंस बैंक की उपलब्धि क्रमशः 4 एवं 16 है जो कि 0.04% एवं 0.13% उपलब्धि है जो कि बेहद चिंतनीय है।

प्रतिनिधि, राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक ने बताया कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण में तकनीकी खामी के चलते प्रगति नहीं की जा सकी लेकिन अभी पंजीकरण किया जाना शुरू हो चुका है। उन्होने आगामी तिमाही में इस योजना पर प्रगति किए जाने का आश्वासन प्रदान किया।

प्रतिनिधि, एयू स्माल फ़ाईनेंस बैंक ने आगामी तिमाही में इस योजना पर प्रगति किए जाने का आश्वासन प्रदान किया।

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त योजनांतर्गत और अधिक प्रयास कर अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करें।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

डॉ. के. के. पाठक, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा आमजन के बीमा हेतु नयी योजना प्रस्तावित की गयी है एवं पीएमएसबीवाई में भी अंशदान पर राजस्थान सरकार विचार कर रही है । इस संबंध में उन्होने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि एक विशेष बैठक कर राज्य सरकार एवं बैंकों के बीच उक्त योजना पर चर्चा की जावे।

(कार्यवाही : महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं एसएलबीसी राजस्थान)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा PMSBY, PMJJBY के तहत दिनांक 13.11.2019 तक कुल 13,978 क्लेम दायर किए गए जिसमें से 12,198 क्लेम का भुगतान कर दिया गया है। बीमा कंपनी के पास 739 क्लेम लंबित हैं, 64 क्लेम प्रक्रियाधीन हैं एवं 977 क्लेम अस्वीकृत किए गए हैं। उक्त रिजेक्टेड क्लेम्स का विवरण समस्त संबन्धित बैंको से साझा कर दिया गया हैं। उक्त क्लेम्स की निगरानी के लिए बैंको में नोडल अधिकारी नियुक्त करने हेतु समस्त बैंको को निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही : सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>Identification of one Digital District-</u>

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार राजस्थान राज्य के महत्वाकांशी जिलों में से एक जिला करौली को 100% डिजिटल बनाने हेतु चिन्हित किया गया है। इस संबंध में एसएलबीसी द्वारा उप समिति- डिजिटल भुगतान का गठन कर प्रथम बैठक का आयोजन दिनांक 18.10.2019 को किया गया एवं करौली जिले में भी डीएलसीसी की उपसमिति का गठन कर दिनांक 14.11.2019 को बैठक आयोजित की गयी।

उन्होने बताया कि क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में जिला करौली को 100% डिजिटल बनाने हेतु दिनांक 29.11.2019 को समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी जिसमें हुई चर्चा के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

- दिनांक 09.12.2019 से 16.12.2019 तक बैंकों द्वारा डिजिटल जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा।
- प्रत्येक बैंक शाखा को न्यूनतम 5 पीओएस मशीन लगाने का लक्ष्य प्रदान किया गया।
- प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, भीम एप एवं क्यूआर कोड अधिकाधिक लोगों को प्रदान किए जावेंगे। प्रत्येक शाखा द्वारा दिसंबर, 2019 से डिजिटलीकरण की प्रगति प्रत्येक माह न्यूनतम 10% की दर से बढ़नी चाहिए।
- बैंक शाखा द्वारा प्रत्येक खाते में मोबाइल नंबर अद्यतित किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक शाखा द्वारा 100% केशलेस लेनदेन करने के लिए न्यूनतम 100 व्यापारियों को चयनित किया जावे।
- बैंकों द्वारा अपने कॉर्पोरेट कार्यालय से अनुमति लेकर पीओएस मशीन पर लगने वाले प्रोसेसिंग चार्ज, रेंटल एवं अन्य चार्ज माफ अथवा कम करवाए जाएँ।

डॉ. के. के. पाठक, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बैंक मित्र (BC) बनाने का सुझाव प्रदान किया एवं उनको पीओएस मशीन **महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार** प्रदान करने का प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है जिससे बैंकों की लागत में भी कमी आयेगी ।

(कार्यवाही : सदस्य बैंक, राजस्थान)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने जिला करौली में लगने वाली पीओएस मशीन पर लगने वाले प्रोसेसिंग चार्ज, रेंटल एवं अन्य चार्ज माफ अथवा छूट प्रदान करवाने हेतु कॉर्पोरेट कार्यालय से शीघ्र अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर एसएलबीसी को सूचित करने के लिए समस्त बैंकों को निर्देशित किया ।

उन्होने समस्त हितधारकों से अनुरोध किया कि करौली जिले को 100% डिजिटल बनाने हेतु समस्त बैंक अपना शत-प्रतिशत योगदान प्रदान करें जिससे 1 वर्ष की समय सीमा के भीतर लक्ष्य प्राप्ति की जा सके।

(कार्यवाही : Do & IT Dept. राजस्थान सरकार सदस्य बैंक, राजस्थान)

<u>एजेण्डा क्रमांक - 5</u>

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने **वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति** के बारे में निम्नानुसार सदन को अवगत करवाया:

वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) राशि रू 1,71,643 करोड़ के सापेक्ष कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में सितम्बर तिमाही तक राशि रू 90,989 करोड़ उपलब्धि रही है जो कि 53.01% उपलब्धि है. कृषि में 50.58%, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम क्षेत्र में 65.26% एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 30.92% की उपलब्धि दर्ज की गई है. वार्षिक साख योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 के निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष सितम्बर तिमाही तक वाणिज्यिक बैंकों ने 57.19%, क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंकों ने 62.94%, सहकारी बैंक ने 19.97% तथा स्माल फ़ाइनेंस बैंकों ने 62.86% की उपलब्धि दर्ज की है.

उन्होने वार्षिक साख योजना के तहत राज्य के औसत से कम उपलब्धि वाले बैंक यथा राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक (4.04%), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (10.17%), आईडीबीआई बैंक (10.57%), इंडियन बैंक (13.42%), पंजाब एंड सिंध बैंक (15.31%), आरएससीबी (20.57%), सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (21.23%), इंडियन ओवरसीज़ बैंक (22.09%), यूनाइटेड बैंक (24.44%), येस बैंक (25.65%), यूको बैंक (25.76%), ईलाहबाद बैंक (28.74%), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (31.68%) एवं केनरा बैंक (36.94%) है। उक्त बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने के लिए समस्त बैंकों से अनुरोध किया.

प्रतिनिधि, राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक ने बताया कि उनके बैंक में कृषि ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गयी है। दिनांक 11.07.2019 से ऋण वितरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है एवं वित्तीय वर्ष के शुरूआत में बैंक के पास पर्याप्त फंड नहीं था अतः वित्तपोषण की प्रगति अच्छी नहीं थी । उन्होने आगामी तिमाही में अच्छी प्रगति हेतु आश्वासन दिया.

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में भूमि का रहन दर्ज करवाने में परेशानी के चलते नए कृषि ऋण कम हो रहे हैं। पुराने कृषि ऋणों की सीमा बढ़ाकर पुनः वितरित किए जा रहे हैं।

प्रतिनिधि, यूको बैंक ने बताया कि आगामी तिमाही में लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने का आश्वासन प्रदान किया।

प्रतिनिधि, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया ने बताया कि आगामी तिमाही में लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने का आश्वासन प्रदान किया।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि यस बैंक की कृषि ऋणों में प्रगति बहुत अच्छी है लेकिन अन्य क्षेत्रों में वार्षिक साख लक्ष्यों के सापेक्ष मात्र 25.65% उपलब्धि है।

साथ ही उन्होने समस्त बैंक नियंत्रकों को निर्देश प्रदान किए कि वार्षिक साख योजना के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु ठोस कार्य-योजना की क्रियान्वित करें। **(कार्यवाही : सदस्य बैंक, राजस्थान)**

प्रतिनिधि, यस बैंक ने बताया कि शाखाओं को सभी क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने हेतु लक्ष्य आवंटित कर दिये गए हैं। आगामी माह में अच्छी प्रगति करने का आश्वासन प्रदान किया।

<u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन</u> (NRLM)

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि एनआरएलएम योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आवंटित 55,777 एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज करने के लक्ष्य के सापेक्ष

दिनांक 19.11.2019 तक 32,222 एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज किया गया है जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष 57.77% उपलब्धि है.

डॉ. के. के. पाठक, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि एसएचजी को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार दोनों ने अलग-अलग नयी योजनाएं बनाई हैं जिसमें उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने राशि रू. 10 करोड़ तक के ऋणों के लिए ब्याज अनुदान योजना बनाई है ।

उन्होने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रियदर्शिनी इन्दिरा गांधी महिला उद्यम प्रोत्साहन योजना लांच की जो कि आज की बैठक का टेबल एजेंडा भी है उक्त योजना के तहत राशि रु. 1.00 करोड़ तक के ऋण पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। विभिन्न सरकारी योजनाओं की कमियों को ध्यान मे रखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कुछ सुधारात्मक कदम भी उठाए गए हैं जो कि निम्नानुसार हैं:-

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ साथ निजी व स्माल फ़ाईनेन्स बैंक भी उक्त योजना के तहत ऋण प्रदान कर सकेंगे।
- महिला/ समूह को ऋण लेने के लिए राजस्थान सरकार से पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है, उनके द्वारा सीधे ही बैंक से संपर्क कर ऋण लिया जा सकता है जिसके पश्चात महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित कर दिया जावेगा ।
- आवेदनों के गुणवत्ता स्तर की निगरानी रखने हेतु एक मैट्रिक्स बनाई गयी है जिसके अनुसार प्रत्येक आवेदन की रैंकिंग की जावेगी।
- एनआरएलएम के तहत ज़्यादातर ऋण कम राशि के दिये जाते हैं जो कि बड़ा व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। अतः राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष नई पहल करते हुए महिला एवं समूहों को व्यवसाय करने हेतु अधिक फंड राशि की आवश्यकता है तो अधिक राशि के ऋण प्रदान कर ब्याज अनुदान का लाभ दिया जा सके।
- महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा ऋणियों से नियमित रूप से संपर्क बनाए रखा जावेगा एवं इसके लिए जिलें में निर्धारित दिवस को आमुखीकरण एवं मार्गदर्शन हेतु शिविर आयोजित किए जावेंगे
- उक्त योजना में पीएमईजीपी की तर्ज पर मार्जिन मनी क्लेम की जावेगी जिसके लिए नोडल बैंक बनने हेतु इच्छुक बैंक उनके विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

उन्होने अधिक से अधिक महिलाओं एवं समूहों को योजना के तहत लाभान्वित करने के लिए बैंकों को निर्देश प्रदान किए

(कार्यवाही : महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार एवं सदस्य बैंक, राजस्थान)

श्री अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Do&IT), राजस्थान सरकार ने बताया कि एनआरएलएम की अवधारणा 3 स्तरों पर की गयी है:- SHG, V.O. एवं Federation। उक्त अवधारणा के अनुसार ही एनआरएलएम योजना की प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिए। सिर्फ

एसएचजी क्रेडिट लिंकेज को ही ध्यान में रखने के बजाय तीनों स्तरों पर ऋण पैटर्न का अध्ययन कर ऋण प्रदान किए जाने की प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिए। वर्तमान में उक्त अवधारणा को ध्यान में रखते हुए योजना की प्रगति की निगरानी नहीं की जा रही है।

(कार्यवाही : राजीविका, राजस्थान सरकार)

नरेश पाल गंगवार, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राजस्थान सरकार ने बताया कि एनआरएलएम के तहत ग्रामीण बैंकों की वित्त पोषित किए गए एसएचजी की संख्या की प्रगति अच्छी है लेकिन ऋण राशि अत्यंत कम है। उन्होने बताया कि एसएचजी को प्रदान किए जाने वाले ऋण की औसत राशि काफ़ी कम है जो कि किसी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए व्यवहार्य नहीं होगी। अतः बैंकों को निर्देश प्रदान किए कि समूह की आवश्यकता को ध्यान में रख ऋण सीमा निर्धारित की जावे।

परियोजना निदेशक, राजीविका विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रमुख शासन सचिव, आयोजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Do&IT), राजस्थान सरकार एवं प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राजस्थान सरकार द्वारा बताए गए सुझावों पर आगामी उपसमिति में चर्चा कर प्रगति की निगरानी का तरीका बदलने का आश्वासन दिया। उन्होने बताया कि योजनान्तर्गत 34192 एसएचजी को वित्त पोषित किया जा चुका है जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष 64% उपलब्धि है ।

साथ ही उन्होने बताया कि सिर्फ 4 बैंकों यथा बैंक ऑफ बड़ौदा, बीआरकेजीबी, पंजाब नेशनल बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक द्वारा ही उक्त योजना में अच्छा कार्य किया गया है। जिसके लिए उन्होने बधाई प्रदान की । उक्त चारो बैंकों ने मिलकर लगभग 30,000 एसएचजी को वित्त पोषित किया है एवं शेष वित्त पोषण अन्य बैंकों ने किया है जो कि बेहद चिंतनीय है ।

(कार्यवाही : सदस्य बैंक, राजस्थान)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि उक्त प्रगति पर एसएलबीसी की उप समिति में विस्तृत रूप से चर्चा की जानी चाहिए। योजनान्तर्गत समस्त हितधारक मिलकर ही लक्ष्य निर्धारित करते है अतः वित्तीय वर्ष के शुरुआत में ही विश्लेषण किया जाना चाहिए कि समूह के कितने बचत खाते है एवं कितने वित्त पोषण के लिए पात्र है अतः लक्ष्य पूर्ण होने के बाद भी एसएचजी वित्त पोषण नहीं रूकना चाहिए ।

नरेश पाल गंगवार, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राजस्थान सरकार ने बताया कि विभिन्न योजनाओं का मात्र आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए। लक्षित वर्ग को सही मायनों में लाभ पहुँच रहा है अथवा नहीं, यह देखा जाना चाहिए।

परियोजना निदेशक, राजीविका विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि राज्य में 1 लाख से अधिक समूह ऐसे है जिन्हें सरकार द्वारा revolving fund प्रदान किया जा चुका है लेकिन बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाना शेष है। उक्त समूहों की संख्या वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्य से काफ़ी अधिक है।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि यदि पात्र एसएचजी की संख्या लक्ष्य से अधिक होगी तब ही बैंकों द्वारा उन्हे ऋण प्रदान किया जावेगा क्योंकि मात्र लक्ष्य प्राप्ति ही बैंकों का ध्येय नहीं है। एनआरएलएम के एसएचजी की अच्छी वसूली प्रक्रिया होने के कारण बैंकों के समक्ष एनपीए होने का जोखिम भी नगण्य है। साथ ही उन्होने सुझाव दिया कि एसएलबीसी की आगामी उप समिति में श्री अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Do&IT), राजस्थान सरकार को special invitee के रूप में आमंत्रित किया जावे।

(कार्यवाही : राजीविका, राजस्थान सरकार)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि उक्त योजनांतर्गत राज्य में सिर्फ 4 बैंकों द्वारा ही सहभागिता किया जाना चिंता का विषय है।

श्री अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Do&IT), राजस्थान सरकार ने सुझाव दिया कि बैंकों द्वारा federation से संपर्क कर उनकी वसूली प्रक्रिया को समझ उन्हे ऋण प्रदान किया जाना चाहिए जो कि निचले स्तर यथा एसएचजी तक प्रवाहित होगा।

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि उनके बैंक को बहुत कम मात्रा में एसएचजी के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। उन्होने राजीविका से अनुरोध किया कि पर्याप्त मात्रा में आवेदन उपलब्ध करवाए जाएँ। उन्होने लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत उपलब्धि हेतु आश्वासन प्रदान किया ।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक एवं राजीविका, राजस्थान सरकार)

परियोजना निदेशक, राजीविका विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया कि उनके विभाग द्वारा समुदाय आधारित वसूली तंत्र विकसित किया है जिसके तहत राजीविका के क्लस्टर एवं गाँव स्तर के प्रतिनिधि एवं शाखा प्रमुख की अध्यक्षता में समिति बनाई गयी है एवं राजीविका प्रतिनिधि डीपीएम/बीपीएम सदस्य सचिव होगा। उक्त समिति की मासिक रूप से बैठक आयोजित कर एसएचजी के एनपीए एवं पीएनपीए खातों में वसूली करने के प्रयास किए जाते हैं।

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि विभिन्न बैंकों द्वारा सूचित किया गया है कि जिन एसएचजी के बचत खाते कार्यशील नहीं है अथवा किसी वजह से समूह अस्तित्व में नहीं है उनके खातों को बंद करने की कार्यवाही की संभावना तलाशी जा रही है। जो एसएचजी अभी अस्तित्व में है एवं वित्त पोषण की पात्रता रखते है उनको वित्त पोषित करने की संभावना तलाशी जा रही है तथा इसकी समीक्षा एसएलबीसी की उप समिति (एसएचजी/जेएलजी/एफ़पीओ) बैठक में नियमित रूप से की जा रही है। ग्रामीण बैंकों में सबसे अधिक एसएचजी के बचत खाते है जिसको वित्त पोषण की संभावना तलाशने की जरूरत है । ई-शक्ति पोर्टल को शाखा प्रबन्धकों द्वारा उपयोग किए जाने की निगरानी नाबार्ड के स्तर से की जा रही है।

अध्यक्ष, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने बताया कि एसएचजी के बचत खाते है जिसको वित्त पोषण की संभावना का अभियान चलाए जाने से सूचित किया गया ।

स्वयं सहायता समूह (SHG)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सितंबर, 2019 तक 3,25,132 एसएचजी के बचत खाते खोले गए है एवं 78,663 एसएचजी पर राशि रू 600.01 करोड़ का ऋण बकाया है.

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत 9041 के लक्ष्य है. जिसमें से 7055 व्यक्तियों, 414 समूहों एवं 1572 स्वयं सहायता समूहों को ऋण स्वीकृत करने के लक्ष्यों के सापेक्ष दिनांक 30.09.2019 तक उपलब्धि क्रमशः 188, 5 एवं 60 रही है.

उन्होने बताया कि उक्त योजनांतर्गत बैंकों को प्राप्त होने वाले आवेदनों का गुणवत्ता स्तर अच्छा नहीं होने एवं एक केंद्र पर समान प्रकार के व्यवसाय हेतु कई आवेदन प्राप्त होने की दशा में सभी आवेदन स्वीकृत करना संभव नहीं हो पाता है, जो कि लक्ष्य से कम प्रगति रहने का प्रमुख कारण है। साथ ही बैंकों को पर्याप्त मात्रा में आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे हैं.

(कार्यवाही: सदस्य बैंक, राजस्थान)

उन्होने बताया कि दिनांक 23.10.2019 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की उप समिति (केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना) बैठक के दौरान प्रतिनिधि, दीन दयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन विभाग ने बताया कि उनके विभाग में जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति नहीं होने के कारण वर्तमान में ऋण आवेदन पत्र प्रेषित करने का कार्य बाधित है। उन्होने माह नवंबर 2019 में स्टाफ की नियुक्ति होने के पश्चात कार्य सुचारू रूप से किए जाने का आश्वासन प्रदान किया। इस संबंध में बैंकों द्वारा योजनान्तर्गत लक्ष्य भी 50% तक घटाने के लिए अनुरोध किया गया है|

उन्होने बताया कि डे-एनयूएलएम विभाग के पोर्टल के बारे में एसएलबीसी एवं बैंकों को विभाग द्वारा जानकारी नहीं दी गयी है. इस पर उन्होने सुझाव दिया कि आगामी एसएलबीसी की उपसमिति की बैठक में पोर्टल के बारे में समस्त बैंकों को विस्तृत जानकारी प्रदान करें एवं बैठक के पश्चात पोर्टल के बारे में पत्र के माध्यम से एसएलबीसी को अवगत करवाएं ताकि समस्त सदस्य बैंकों को इस संबंध में अवगत करवाया जा सके.

(कार्यवाही : स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि की सहभागिता नहीं करने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की ।

(कार्यवाही : स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP)

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि पीएमईजीपी के तहत वर्ष 2019-20 के लिए राज्य में मार्जिन के लक्ष्य राशि रू 101.94 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 30.11.2019 तक राशि रू 42.85 करोड़ की मार्जिन मनी बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत की है, जो कि लक्ष्यों के सापेक्ष 42.04% उपलब्धि है.

साथ ही बताया कि केवीआईसी द्वारा एयू स्माल फ़ाईनेन्स बैंक को राजस्थान में पीएमईजीपी योजनांतर्गत ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गयी है। भारत सरकार के निर्देशानुसार मार्जिन मनी क्लेम करने के लिए ईडीपी प्रशिक्षण की बाध्यता को दिनांक 31.10.2019 तक के लिए समाप्त की गई है । उक्त सभी ऋणों के आवेदनकर्ताओं के प्रशिक्षण दिनांक 31.12.2019 तक पूर्ण कर लिए जाने हेतु समस्त बैंकों से अनुरोध किया।

राज्य निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार ने बताया कि उक्त योजनांतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। सर्वाधिक मार्जिन मनी क्लेम बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा की गयी है।

उन्होने भारतीय स्टेट बैंक के पास काफी मात्रा में ऋण आवेदन लंबित होने से सूचित किया. प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य सभी बैंकों से अनुरोध किया कि जल्द से जल्द लंबित आवेदन पत्रों की संख्या शून्य करने हेतु शाखाओं को निर्देशित करे तथा बैंक शाखाओं ने जिन आवेदन पत्रों में स्वीकृति जारी कर दी है उन आवेदन पत्रों में ऋण वितरित करवाना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक)

संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने बताया दिनांक 23.10.2019 को आयोजित एसएलबीसी की उपसमिति (केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं) में हुई चर्चा के अनुसार दिनांक 23.10.2019 तक लंबित समस्त आवेदनों का निस्तारण 30.11.2019 तक किए जाने हेतु बैंकों को निर्देशित किया गया था लेकिन आज दिनांक तक केवल 25% आवेदनों का ही निस्तारण किया गया है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि योजनांतर्गत लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण प्राथमिकता से करें। समस्त नियंत्रक अपने स्तर से शाखाओं को पत्र जारी कर दिनांक 15.12.2019 तक समस्त लंबित आवेदनों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करावें।

(कार्यवाही : समस्त सदस्य बैंक, राजस्थान)

प्रतिनिधि, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से अनुरोध किया कि उनके बैंक द्वारा जारी किए गए नए आईएफ़एससी कोड की लिस्ट प्रेषित करावें एवं योजनान्तर्गत उनके बैंक लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि केवल 13% है।

साथ ही बताया कि भारतीय स्टेट बैंक में सर्वाधिक आवेदन लंबित हैं एवं पिछले तीन वर्षो में किसी में भी शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है । उन्होने प्रतिनिधि, भारतीय स्टेट बैंक से लंबित आवेदनों के निस्तारण हेतु बनाई गयी रणनीति से सदन को अवगत करवाने हेतु अनुरोध किया। साथ ही बताया कि सिरोही जिले में काफ़ी मात्रा में ऋण आवेदन एसबीआई के पास लंबित हैं।

उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने बताया कि राज्य स्तर पर सहायक महाप्रबंधक पद का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जिसके द्वारा उक्त योजनांतर्गत ऋण आवेदनों के निस्तारण की निगरानी की जा रही है। उन्होने समस्त लंबित आवेदनों के निस्तारण का लक्ष्य पूर्ण कर लिए जाने से आश्वस्त करवाया।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने उनके बैंक द्वारा जारी किए गए नए आईएफ़एससी सूची प्रेषित करने का आश्वासन प्रदान किया ।

(कार्यवाही : राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक)

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि दिनांक 17.07.2019 को आयोजित एसएलबीसी की उपसमिति (केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित) बैठक में बैंकों ने सूचित किया कि विभिन्न बैंक शाखाओं पर एक ही प्रकार की व्यापारिक/ औद्योगिक गतिविधियों के आवेदन पत्र प्राप्त प्राप्त हो रहे हैं. अतः उन्होने केवीआईसी विभाग, भारत सरकार से आवेदन पत्रों की गुणवत्ता पर ध्यान देने हेतु पुनः अनुरोध किया.

(कार्यवाही : केवीआईसी, भारत सरकार)

Special Central Assistance Scheme SC/ST

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एससी/एसटी पॉप योजना के तहत 17,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 30.09.2019 तक मात्र 1987 प्रार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 11.69% उपलब्धि है.

प्रतिनिधि, राजस्थान अनुजा निगम लि. ने बताया कि उक्त योजनांतर्गत 8500 आवेदन बैंकों को प्रेषित किए जा चुके हैं उन्होने समस्त बैंकों से दिनांक 15.12.2019 तक निस्तारण हेतु अनुरोध किया. शाखावार लंबित आवेदन पत्रों का विवरण शीघ्र ही एसएलबीसी को उपलब्ध करवाने का आश्वासन प्रदान किया ।

(कार्यवाही : समस्त नियंत्रक, सदस्य बैंक)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन को अवगत करवाया कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार द्वारा लक्ष्य आवंटित नहीं किए गए हैं. दिनांक 31.10.2019 तक राशि रू 5720.49 करोड़ के ऋण बैंकों ने वितरित कर दिए गए हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में सितंबर 2019 तक 18,681 इकाइयों को राशि रू 238 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है एवं बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर

हुड़को (HUDCO) ने प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में सितंबर 2019 तक 2880 इकाइयों को 33 करोड़ रू का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है.

उन्होने बताया कि राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में सितंबर 2019 तक केवल 7257 इकाइयों को राशि रू 138 करोड़ का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया गया है एवं 1,394 इकाइयों के राशि रू 46.20 करोड़ के ब्याज अनुदान के प्रकरण लंबित है.

प्रतिनिधि, राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया कि उक्त विचलन का मुख्य कारण उनके बैंक द्वारा रिजेक्ट किए गए है उनको अद्यतन नहीं किया गया है ।

Dashboard to monitor the saturation under the Kisan Credit Card (KCC) Scheme

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूरे भारत वर्ष में कृषकों को संतृप्ति स्तर तक किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण उपलब्ध करवाने हेतु अभियान चलाया गया है. इस संबंध में एसएलबीसी द्वारा समस्त जिलों को लक्ष्य आवंटित किए गए हैं एवं समस्त किसानों को समयबद्ध तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान करने हेतु समस्त बैंकों से अनुरोध किया गया है जिससे किसानों को संस्थागत ऋण की तह में लाया जा सके.

उक्त अभियान के तहत प्रगति की निगरानी हेतु मंत्रालय द्वारा डैशबोर्ड विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है जिसके द्वारा फ़सली ऋण, पशुपालन एवं मत्स्य पालन हेतु ऋण एवं मौजूदा केसीसी धारक किसानों के लिए पशुपालन एवं मत्स्य पालन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने हेतु प्रदान की गयी केसीसी सीमा की समीक्षा की जा सकेगी.

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी बैंकों को निर्देश प्रदान किए गए कि उक्त अभियान के तहत बैंकों द्वारा mission mode में कार्य कर 45 दिवस के भीतर 100% संतृप्ति स्तर को प्राप्त किया जावे. इस संबंध में एसएलबीसी द्वारा इस हेतु जिलेवार केसीसी प्रदान करने के लक्ष्य प्रदान किए गए। राज्य को प्रदत्त कुल 21,39,400 किसानों के लक्ष्यों के सापेक्ष दिनांक 24.11.2019 तक 8,96,561 किसानों को केसीसी ऋण प्रदान किया जा चुका है।

उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि उक्त अभियान के तहत हुई प्रगति की साप्ताहिक रिपोर्ट एसएलबीसी को प्रेषित करना सुनिश्चित करावें ताकि उक्त रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक, राजस्थान)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि विभिन्न बैंकों की शाखाओं ने लगभग 25000 आवेदन पत्र राशि रू 750 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए है लेकिन राको रोड़ा एक्ट की धारा 6(1) के तहत लंबित है। लेकिन बैंक के पक्ष में कृषि भूमि के रहन करने में आ रही परेशानियों के चलते पात्र किसानों को कृषि ऋण

प्राप्त नहीं हो पा रहा है एवं बैंक शाखाओं द्वारा यह लक्ष्य पूर्ण करना एवं भारत सरकार द्वारा चलाये गए अभियान में पूर्ण रूप से योगदान दिया जाना संभव नही हो पा रहा है ।

(कार्यवाही : राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि उपरोक्त संदर्भ में हमारे द्वारा मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर को पत्र लिख कर आग्रह किया गया है कि समस्त जिलों के संबन्धित जिला कलेक्टर/राजस्व अधिकारियों को निर्देशित करें कि कृषक को ऋण प्रदान करने हेतु बैंक के पक्ष में भूमि रहन करने के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें एवं भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन करने की प्रक्रिया के चलते बैंक के पक्ष में भूमि रहन करने के नए प्रकरणों को अनावश्यक लंबित ना करें लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार ने पत्रांक प.6(III) आकृ./फ.बी.पीएमएफ़बीवाई/एसएलबीसी/20(125)/2018-19/ 6952-98 दिनांक 08.11.2019 के द्वारा समस्त जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है कि उनके अधिकारिता क्षेत्र के अधीनस्थ ऐसे कृषक जिनकी कृषि भूमि पर केसीसी ऋण हेतु रहन दर्ज नहीं है, की सूची तैयार करवाकर संबन्धित अग्रणी जिला प्रबन्धक को उपलब्ध करावें.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने राजस्थान सरकार से अनुरोध किया कि जिन किसानों के पास खेतीयोग्य भूमि है लेकिन केसीसी ऋण हेतु भूमि पर रहन दर्ज नहीं है, उनकी जानकारी अग्रणी जिला प्रबन्धक को उपलब्ध करवाई जाये जिससे बैंकों द्वारा शेष रहे किसानों से संपर्क कर उन्हे केसीसी ऋण सुविधा प्रदान की जा सके.

(कार्यवाही: कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

श्री अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Do&IT), राजस्थान सरकार ने उक्त प्रकरण पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Do&IT), राजस्थान सरकार के स्तर पर कार्यवाही करने का आश्वासन प्रदान किया ।

(कार्यवाही : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Do&IT), राजस्थान सरकार)

<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)</u>

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि पीएमएफ़बीवाई पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार खरीफ 2019 के तहत 43.73 लाख बीमा पॉलिसी जारी की गयी हैं. जिनका कुल बीमित क्षेत्रफल 54.15 लाख हेक्टेयर, कुल बीमा राशि रु 15,733.06 करोड़ एवं किसान द्वारा वहन की गयी प्रीमियम राशि रु 358.61 करोड़ है.

उन्होने बताया कि लगभग 50,000 किसानों का डेटा आधार मिसमैच एवं गाँव का डेटा उपलब्ध नहीं होने के कारण पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाया है। साथ ही बताया कि 22 बैंक शाखाओं द्वारा ऋणी कृषकों का प्रीमियम तकनीकी कारणों से बीमा कंपनियों के पास कट ऑफ डेट निकलने के बाद जमा करवाया गया है।

डॉ. ओम प्रकाश, आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार ने उक्त किसानों एवं गांवों की सूची उनके विभाग को प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया जिससे पोर्टल दुबारा चालू करवाकर एवं कृषि पर्यवेक्षकों की सहायता से आधार मैच करवाकर उक्त समस्या का समाधान किया किए जाने का आश्वासन प्रदान किया ।

(कार्यवाही : कृषि विभाग, राजस्थान सरकार)

उन्होने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि ऋणी कृषकों का प्रीमियम बीमा कंपनियों को प्रेषित करने में हुई देरी का कारण मय विलंब की अवधि उनके विभाग को प्रेषित करें। विलंब का कारण उचित पाये जाने पर बीमा कंपनी द्वारा उक्त किसानों का प्रीमियम स्वीकार कर लिया जावेगा। साथ ही उन्होने समस्त बैंकों से अनुरोध किया कि भविष्य में कट ऑफ डेट से पहले ऋणी कृषकों का प्रीमियम आरटीजीएस/ एनईएफ़टी द्वारा बीमा कंपनियों के पास जमा करवाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही : एसएलबीसी राजस्थान एवं सदस्य बैंक, राजस्थान)

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि भारत सरकार को भी इस बाबत सूचित किया जावे कि पोर्टल दुबारा चालू करवाया जावेगा।

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि संयुक्त शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2019-20 के अंतर्गत ऋणी/ अऋणी कृषकों का फसल बीमा करने से संबन्धित दिशा-निर्देश अधिसूचना क्रमांक प.7(1) कृषि-1/एम.सी./2019 दिनांक 20.11.2019 के द्वारा जारी कर दिये गए है जिसके अनुसार ऋणी कृषकों के खातों से बैंकों द्वारा प्रीमियम डेबिट करने की अंतिम तिथि 31.12.2019 एवं बैंकों द्वारा ऋणी कृषकों का प्रीमियम आरटीजीएस/ एनईएफ़टी द्वारा जमा कराने की अंतिम तिथि 15.01.2020 है।

उन्होने बताया कि पीएमएफ़बीवाई योजनांतर्गत भारत सरकार, राज्य सरकार एवं बीमा कंपनियों से संबन्धित कई अनसुलझे मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाने के लिए अनेक बैठकें की जा चुकी है लेकिन फसल बीमा योजना से जुड़े मुद्दों पर आज तक निर्णय नहीं हो पाया है. उनमें से कुछ मुख्य मुद्दे शीघ्रता से सुलझाए जाने अतिआवश्यक हैं:-

निम्न कारणों से पीएमएफ़बीवाई पोर्टल पर खरीफ 2018 एवं रबी 2018-19 का डेटा अपलोड नहीं किया जा सका है:-

- आधार कार्ड मिसमैच अथवा आधार कार्ड की अनुपलब्धता
- गांवों का डेटा एवं आधार कार्ड का डेटा पीएमएफबीवाई पोर्टल पर अपडेट नहीं किया जाना
- अन्य तकनीकी खामियाँ जैसे पॉलिसी स्वतः डिलीट हो जाना, 7 हेक्टेयर भूमि संबंधी मुद्दे इत्यादि.

- बीमा कंपनी द्वारा फसल दावा राशि सीधे किसानों के खाते में जमा करवाने के बजाय शाखा के खाते में हस्तांतरित की जा रही है.
- बैंक द्वारा बीमा कंपनियों को प्रेषित प्रीमियम राशि पर 4% सर्विस चार्जेज़ का भुगतान नहीं किया जा रहा है.
- टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पीएमएफ़बीवाई खरीफ 2018 का किसानों का प्रीमियम राज्य सरकार की अनुमति के बिना अस्वीकार कर दिया है. दिनांक 02.04.2019 को आयोजित बैठक में आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार द्वारा टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त प्रीमियम राशि स्वीकार करने हेतु निर्देशित किया गया लेकिन टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आज दिनांक तक प्रीमियम स्वीकार नहीं किया गया.

इस संबंध में कृषि विभाग, राजस्थान सरकार ने उपरोक्त कारणों की वजह से आंकड़े पोर्टल पर अद्यतन नहीं किए जाने के कारण पीएमएफ़बीवाई पोर्टल पुनः खोलने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया है.

डॉ. ओम प्रकाश, आयुक्त, कृषि, राजस्थान सरकार ने इस संबंध में बताया कि पुनः पोर्टल खोले जाने पर बैंकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि जिन किसानों द्वारा खरीफ 2018 की अवधि में ऋण लिया गया है केवल उन्ही किसानों का डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जावे। किसी भी अपात्र किसान का डेटा उक्त पोर्टल पर अद्यतित नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होने बताया कि रबी 2019-20 के तहत ऋणी कृषकों का प्रीमियम आरटीजीएस/ एनईएफ़टी द्वारा जमा कराने की अंतिम तिथि 15.01.2020 है एवं शाखाओं को निर्देशित करें कि अंतिम समय का इंतजार नहीं करें एवं इसको समय से पहले ही संबन्धित बीमा कम्पनी प्रेषित करना सुनिश्चित करें एवं इसको किश्तों में भी प्रेषित कर सकते है । **(कार्यवाही : सदस्य बैंक, राजस्थान)**

सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि केसीसी के तहत पशुपालन एवं मछली पालन हेतु स्केल ऑफ फ़ाईनेन्स सिर्फ 10 जिलों द्वारा ही निर्धारित किया गया है एवं उनमें बहुत अधिक विविधता है। इस संबंध में पूर्व में एसएलबीसी द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक से अनुरोध किया कि शेष रहे जिलों में स्केल ऑफ फ़ाईनेन्स शीघ निर्धारित करवाने की कार्यवाही करें।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार से इस संबंध में चर्चा की जावे।

Doubling of Farmers Income by 2022

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि केंद्रीय बजट 2016-17 में भारत सरकार ने किसानों की आय को दुगुना करने की घोषणा की थी। इस संबंध में आरबीआई ने अग्रणी बैंकों को निम्नानुसार निर्देशित किया है:-

- बैंकों द्वारा नाबार्ड के साथ मिलकर संभावित लिंक योजनाओं (PLPs) एवं वार्षिक साख योजनाओं को ध्यान में रख कार्य किया जावे।
- एसएलबीसी, डीसीसी, डीएलआरसी एवं बीएलबीसी की बैठकों में लीड बैंक योजना के तहत नियमित एजेंडा के रूप में "2022 तक किसानों की आय दुगुना करना" शामिल किया जावे।
- प्रगति की निगरानी एवं समीक्षा हेतु नाबार्ड द्वारा प्रदत्त मानदंडों का उपयोग किया जा सकता है।

उन्होने बताया कि नाबार्ड द्वारा बताए गए विभिन्न बेंचमार्कों पर दिनांक 31.10.2019 को आयोजित उप समिति की बैठक में विस्तृत चर्चा की गयी। उक्त बैठक में किसानों की आय दुगुनी करने हेतु निम्न सुझाव दिये गए:-

- किसानों को नियमित कृषि के अतिरिक्त गैर कृषि क्षेत्रों जैसे डेयरी, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन इत्यादि हेतु प्रेरित करें।
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मिलने वाली विभिन्न सब्सिडी योजनाओं यथा डीईडीएस, कृषि व्यवसाय, एग्री क्लीनिक एवं एएमआई योजना इत्यादि।
- मौजूदा केसीसी ऋण धारकों को वर्तमान स्केल ऑफ फ़ाईनेन्स के अनुसार ऋण प्रदान किया जावे।
- मौजूदा केसीसी ऋण धारकों को पशुपालन एवं मत्स्य पालन की गतिविधियों हेतु ऋण प्रदान किया जावे।

<u>कृषि ऋण रहन पोर्टल</u>

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने पत्रांक फा/IT/SCR/05/2018/336 दिनांक 04/07/2019 द्वारा सूचित किया है कि किसानो के लिए कृषि ऋण लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए "कृषि ऋण रहन पोर्टल" विकसित किया गया है।

राजस्थान राज्य में कृषि ऋण रहन पोर्टल हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में झुंझुनु जिले को चिन्हित किया गया है।
झुंझुनु जिले में कृषि ऋण रहन पोर्टल की दिनांक 30.10.2019 तक की 3480 ऋण आवेदन प्रस्तुत किए गए जिनमें से 3034 आवेदनों में नामांतरण दर्ज़ किया जा चुका है एवं विभिन्न बैंकों द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त पोर्टल सफलता पूर्वक कार्य कर रहा है ।

<u>शिक्षा ऋण (Education Loan)</u>

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि बैंकों द्वारा वर्ष 2019-20 में सितंबर तिमाही तक राज्य में 7541 छात्रों को राशि रू 230.74 करोड़ के शैक्षिक ऋण वितरित किए गए हैं जिनमें कुल 49,515 छात्रों पर बकाया राशि रू 1,950.37 करोड़ है।

उन्होने बताया कि बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से 2,384 खातों में रु 95.32 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।

एजेंडा क्रमांक- 6

CD Ratio, Review of Districts with CD Ratio below 40% and working of special Sub-Committee of DCC (SCC)

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने जिलों का साख जमा अनुपात निम्नानुसार सूचित किया:

100% से अधिक 6 जिलों में,	71%-100% 14 जिलों में,
61%-70% 5 जिलों में,	51%-60% 6 जिलों में,
41%-50% 2 जिले में	40% से कम शून्य जिले में है.

उन्होने बताया कि पिछली तिमाही में डूंगरपुर एवं सिरोही जिले का साख जमा अनुपात 40% से कम रहा था लेकिन सितंबर 2019 तिमाही में दोनों जिलों का साख जमा अनुपात 40% से अधिक हो गया है.

उन्होने सदन से उक्त एजेंडा को आगामी बैठक के लिए ड्रॉप करने हेतु अनुमति मांगी क्योंकि समस्त जिलों की डीएलसीसी के द्वारा साख जमा अनुपात में सुधार किए जाने के प्रयासों की निगरानी अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा की जा रही है. सदन में उपस्थित सदस्यों ने सहमति प्रदान की ।

उन्होने 60% से कम साख जमा अनुपात वाले बैंक यथा भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से अनुरोध किया कि आगामी तिमाही में 60% तक साख जमा अनुपात बढ़ाने हेतु कार्य योजना बनाते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही : भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक)

NPA Position

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में सितंबर, 2019 तिमाही तक कुल अग्रिम राशि रू 3,38,224 करोड़ है तथा कुल एनपीए राशि रू 14,247 करोड़ है जो कि कुल अग्रिम का 4.21% है. कृषि क्षेत्र में एनपीए 7.70%, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 3.72%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 1.83% एवं कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 5.27% है.

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि मार्च 2019 में कुल एनपीए 3.63% था जो कि सितंबर 2019 में बढ़कर 4.21% हो गया है. मार्च 2019 में कुल कृषि ऋण एनपीए 6.93% था जो कि सितंबर 2019 में बढ़कर 7.70 % हो गया है.

सरफेसी एक्ट, 2002, राको रोड़ा एवं वसूली

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में सरफेसी एक्ट के अंतर्गत दिनांक 30.09.2019 तक कुल 764 प्रकरण राशि रू 302 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 523 मामले राशि रू 242 करोड़ के प्रकरण 60 दिन से अधिक समय से लंबित हैं एवं राको रोड़ा एक्ट के अंतर्गत कुल 1,48,187 प्रकरण राशि रु 3,062 करोड़ के लंबित हैं जिनमें से 87,804 प्रकरण 1 वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं ।

उन्होने बताया कि बैकों के लिए तेजी से बढ़ता हुआ NPA चिंता का विषय है एवं सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में सरकार से वसूली में सहयोग की अपेक्षा की जाती है. राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार के सभी ऋणों को राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1952 में शामिल किया जाये ताकि बैंकों की वसूली में सुधार हो सके तथा आगे नये ऋण देने में उन्हे प्रोत्साहन मिल सके। उन्होने सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के नोडल विभाग से अनुरोध किया कि सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत प्रदान किए गए ऋणों को राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1952 में शामिल करने हेतु प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, राजस्थान सरकार को अनुरोध पत्र प्रेषित करें।

(कार्यवाही : राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार)

एजेंडा क्रमांक- 8

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI)

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि राज्य में कार्यरत 35 आरसेटी द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है. दिनांक 30.09.2019 तक कुल व्यवस्थापन दर 69.74% रहने से सूचित किया. उन्होने बताया कि राज्य में 21 आरसेटी भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, 2 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 7 आरसेटी भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया जाना शेष है.

R-SETI Building Construction

सवाई माधोपुर (बैंक ऑफ बड़ौदा) : प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि यू.आई.टी. सवाईमाधोपुर ने आरसेटी, सवाईमाधोपुर के लिए ग्राम जटवाड़ा खुर्द में 2500 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की है. संभागीय आयुक्त, भरतपुर की अध्यक्षता में दिनांक 29.08.2018 को आयोजित बैठक में उक्त भूमि के निशुल्क आवंटन हेतु अनुशंसा की गयी. दिनांक 26.03.2019 को ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के साथ आयोजित की गयी बैठक में बताया गया कि उक्त भूमि पब्लिक पार्क एवं सड़क हेतु आरक्षित है अतः वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाने हेतु ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध है.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

अलवर (पंजाब नेशनल बैंक) : प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि यूआईटी, अलवर द्वारा 2500 वर्ग मी. की भूमि पंजाब नेशनल बैंक को आवंटित कर रु 56,56,400/- का डिमांड नोटिस जारी किया गया है. पंजाब नेशनल बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि यूआईटी, अलवर द्वारा कहा गया है कि रु

56,56,400/-, ले-आउट चार्ज एवं अन्य चार्ज माफ किए जाने पर ही इस मुद्दे पर आगे कार्यवाही की जाएगी. ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

जैसलमेर (भारतीय स्टेट बैंक) : प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि संयुक्त शासन सचिव तृतीय, राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग से प्राप्त पत्र क्र.प.2(5)नविवि/जैसलमेर/2017 दिनांक 02.04.2018 के अनुसार आरसेटी जैसलमेर के भवन निर्माण हेतु नगर विकास न्यास जैसलमेर की अमर शहीद सागरमल गोपा आवासीय योजना में ओ.सी.एफ. हेतु आरक्षित 2937 वर्ग गज भूमि निःशुल्क आवंटन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं नगर विकास न्यास, जैसलमेर द्वारा आरसेटी निदेशक, जैसलमेर को लीज़ राशि के भुगतान हेतु डिमांड नोटिस भेजा गया है जिसमें भुगतान हेतु 2 विकल्प रखे गए हैं:-

1. 8 वर्ष तक रु 187821/- प्रति वर्ष अथवा
2. दिनांक 31.03.2019 तक एकमुश्त रु 15,02,568/-

भारतीय स्टेट बैंक ने उक्त राशि की छूट प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया है.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

जालौर (भारतीय स्टेट बैंक) : प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि आरसेटी जालौर को भवन निर्माण हेतु ज़िलाधीश महोदय, जालोर के आदेश क्रमांक/एफ12(3) (5)सार्व/राजस्व/12/88/ दिनांक 08.01.2016 के द्वारा भूमि आवंटन किया गया था. तत्पश्चात दिनांक 23.02.2016 को कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया था. दिनांक 29.03.2016 को पट्टा जारी होकर, 01.04.2016 को पंजीयन भी करवा दिया गया था. इसके पश्चात 21.07.2016 को श्री मुकेश सुनदेशा ने उक्त आवंटन आदेश के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष उक्त भूमि पर अपना हक जताते हुए अपील दायर कर दी. तब से आज तक 9 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी तक लंबित है. आरसेटी के भूमि विवादित होने के कारण आरसेटी भवन निर्माण नहीं किया जा सकता है. इस संदर्भ में ज़िलाधीश, जालौर महोदय को भारतीय स्टेट बैंक के पत्र क्रमांक मा.बै.वि./497 दिनांक 24.10.2018 के माध्यम से आरसेटी जालौर को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया है, जिला कलेक्टर कार्यालय, जालोर से कार्यवाही अपेक्षित है. उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से जिला कलेक्टर जालौर को समुचित दिशा- निर्देश प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

पाली (भारतीय स्टेट बैंक) : प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि पूर्व में टेगोर नगर पाली में नगर परिषद, पाली द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) को 1000 वर्ग गज तक भूमि आरक्षित दर के 5 प्रतिशत दर पर आवंटित किए जाने की स्वीकृति पूर्व में ही प्रदान की जा चुकी थी, परंतु आरसेटी बिल्डिंग बनाने के लिए न्यूमतम 0.5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है. अतः नगर परिषद पाली को पुनः 26.02.2018 को आरसेटी पाली हेतु न्यूमतम 0.5 एकड़ भूमि उपलब्ध करने हेतु लिखा गया है. नगर परिषद पाली द्वारा मानपुरा भाकरी रोड पर एक बीघा 2.5 बिसवा भूमि बताई गयी है, जो कि 0.5

एकड़ से कम है. अतः आयुक्त नगर परिषद पाली को 0.5 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाने हेतु पुनः निवेदन किया गया है. उन्होने ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से जिला कलक्टर पाली को समुचित दिशा-निर्देश प्रदान करने हेतु अनुरोध किया.

(कार्यवाही : ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

सिरोही (भारतीय स्टेट बैंक): प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि सिरोही में गत 6 वर्षों से बैंक की भूमि पर आरसेटी कार्यरत थी जिसमें से 2 बीघा 8 बिसवा भूमि आरसेटी को निःशुल्क आवंटित की गयी थी. जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा उक्त भूमि की कीमत राशि रु. 8,59,320/- सरकार को जमा कराने हेतु भारतीय स्टेट बैंक को निर्देशित किया गया. उक्त राशि की माफी हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज, राजस्थान सरकार को अनुरोध किया गया लेकिन जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पुनः उक्त राशि मय ब्याज 7 दिवस के भीतर जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया. एसएलबीसी एवं एसबीआई द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से उक्त राशि माफ करने हेतु अनुरोध किया.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अनुरोध किया कि अलवर, पाली, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर एवं जालोर में भूमि आवंटन से संबन्धित मुद्दों को राज्य सरकार की सहायता से जल्द से जल्द सुलझाया जाये अन्यथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली 1 करोड़ रु. की अनुदान राशि दिनांक 30.06.2020 के पश्चात क्लेम नहीं की जा सकेगी. उन्होने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरसेटी हेतु एसओपी निर्धारित किया गया है। उक्त एसओपी के अनुसार ही आरसेटी का भवन निर्माण किया जाना है।

उन्होने राज्य निदेशक, आरसेटी को निर्देशित किया कि ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार से समन्वय कर उक्त जिलों के जिला कलेक्टर के साथ भूमि आवंटन से संबन्धित मुद्दों को सुलझाने हेतु वीडियो कोन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित की जाएं जिसमें संबन्धित बैंकों एवं एसएलबीसी को आमंत्रित किया जावें।

(कार्यवाही : राज्य निदेशक, आरसेटी एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार)

<u>वित्तीय साक्षरता केंद्र</u>

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि विभिन्न बैंकों ने 67 FLCs स्थापित किए हैं जिनके माध्यम से सितंबर 2019 तिमाही में (पार्ट ए) लक्षित समूह के लिए 552 एवं पार्ट बी के लिए 1226 विशेष कैंप आयोजित किए गए हैं।

एजेंडा क्रमांक- 9

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने जनसुविधा एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए बैंक शाखा परिसर के बाहर लगे हुए Glow Sign Board के कारण बैंकों पर प्रभारित किये गये विज्ञापन शुल्क से राहत प्रदान करने हेतु स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार से अनुरोध किया.

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने बताया कि यह प्रकरण काफी लंबे समय से लंबित है. इस मुद्दे पर राजस्थान सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है.

संयुक्त शासन सचिव, आयोजना ने सूचित किया कि उक्त प्रकरण को उनके विभाग द्वारा स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किया गया लेकिन अपेक्षित कार्यवाही प्रतीक्षित है

(कार्यवाही : आयोजना विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार)

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार को इस बाबत पुनः पत्र प्रेषित कर उक्त मुद्दा शीघ्र सुलझाने हेतु अनुरोध किया जावे।

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि एसएलबीसी की त्रैमासिक बैठक में बैंकों से राज्य प्रमुख एवं राजस्थान सरकार से राज्य प्रमुख अथवा शासन सचिव/ आयुक्त स्तर के अधिकारियों की सहभागिता किया जाना आवश्यक है. एसएलबीसी की उप समिति बैठक में बैंकों से सहायक महाप्रबंधक एवं राजस्थान सरकार से संयुक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारियों की सहभागिता किया जाना आवश्यक है.

साथ ही बताया कि संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त, राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि समस्त विभाग एवं जिला कलेक्टर्स/ खण्ड विकास अधिकारी इत्यादि को एसएलबीसी/ डीएलसीसी/ बीएलबीसी की बैठकों में नियमित रूप से सहभागिता करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

श्री अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Do&IT), राजस्थान सरकार ने एसएलबीसी कार्यालय को निर्देश प्रदान किए कि जिन विभागों द्वारा सहभागिता की गई उनकी सूचना मुख्य मंत्री कार्यालय को प्रेषित की जावेगी । **(कार्यवाही : एसएलबीसी राजस्थान)**

एजेंडा क्रमांक- 10

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे Customer Outreach Initiative के तहत पूरे भारत वर्ष में 400 जिलों में दो चरण में कैंप आयोजित करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं जिसमें प्रथम चरण में राजस्थान राज्य के 11 जिलों में दिनांक 03.10.2019 से 07.10.2019 तक कैंप आयोजित किए गए जिसमें रु. 1188 करोड़ के 38,126 ऋण आवेदन प्राप्त हुए। द्वितीय चरण में 7 जिलों में दिनांक 21.10.2019 से 25.10.2019 तक कैंप आयोजित किए गए जिसमें रु. 562 करोड़ के 11,914 ऋण आवेदन प्राप्त हुए।

एजेंडा क्रमांक- 11

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने बताया कि आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के कुछ जिलों में 14371 गांवो को अभावग्रस्त, बाढग्रस्त, गम्भीर एवं मध्यम सूखाग्रस्त घोषित किए जाने हेतु अधिसूचना जारी की गयी है। समस्त संबन्धित अग्रणी जिला प्रबन्धको को विशेष डीसीसी बैठक आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया है| राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार से उक्त जिलों के गांवों की सूची मय फसल खराबा प्राप्त होते ही भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार एसएलबीसी द्वारा विशेष एसएलबीसी आयोजित कर उक्त मुद्दे पर चर्चा की जावेगी।

आरसेटी, बूंदी द्वारा लाभान्वित किए गए प्रशिक्षणार्थियों की सफलता कि कहानियों से संबन्धित वीडियो क्लिपिंग सदन के समक्ष प्रदर्शित की गयी।

प्रतिनिधि, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान ने अन्य आरसेटी प्रायोजक बैंकों से अनुरोध किया कि आगामी बैठकों में उनके द्वारा भी इस प्रकार की वीडियो क्लिपिंग सदन के समक्ष प्रदर्शित की जावे।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सदन के समक्ष सभी मुद्दों पर सार्थक रूप से चर्चा करने पर सभी बैंकों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

श्री पी.सी. पवन, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग ने महिला उद्यमियों को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने हेतु "प्रियदर्शिनी इन्दिरा गांधी महिला उद्यम प्रोत्साहन योजना" बनाए जाने से सदन को अवगत करवाया। उक्त योजना के तहत 500 एसएचजी को लाभान्वित किया जाने का लक्ष्य रखा गया है एवं रु. 15 करोड़ की सब्सिडी दी जावेगी। जिस पर सदन द्वारा कुछ संशोधन सुझाव यथा फैक्ट्री/ भवन निर्माण लिए ऋण सुविधा दी जावे एवं ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध करवाया जावे आदि प्रस्तुत किए।

प्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि उनके विभाग द्वारा एक बैठक आयोजित की जानी प्रस्तावित है जिसमें समस्त बैंकों द्वारा दिये गए सुझावों पर चर्चा की जावेगी।

श्री योगेश अग्रवाल, उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा समिति में पधारे मंचासीन अतिथियों, केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बीमा कंपनी के अधिकारी सहित सभी बैंकर्स को धन्यवाद ज्ञापित किया. साथ ही आश्वासन प्रदान किया कि बैठक में लिए गए सभी निर्णयों पर गंभीरतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

****